

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
9.4	डुप्लीकेट ए.पी.एल. राशनकार्ड जारी करना.	जिला मुख्यालय में स्थित नगरीय निकाय आयुक्त/मुख्य नगरपालिका अधिकारी.	15 कार्य दिवस	जिला आपूर्ति नियंत्रक/जिला आपूर्ति अधिकारी.	15 कार्य दिवस	कलेक्टर
		जिला मुख्यालय के नगरीय क्षेत्र को छोड़कर शेष नगरीय क्षेत्र. आयुक्त/मुख्य नगरपालिका अधिकारी.	15 कार्य दिवस	अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व.	15 कार्य दिवस	कलेक्टर
		ग्रामीण क्षेत्र के लिये मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद, पंचायत.	15 कार्य दिवस	अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व.	15 कार्य दिवस	कलेक्टर
9.5	सार्वजनिक वितरण प्रणाली दुकान से खाद्यान्न, शक्कर एवं केरोसिन प्राप्त नहीं होने पर उसे पात्रतानुसार दिलवाया जाना.	सहायक/कमिष्ठ आपूर्ति अधिकारी.	15 कार्य दिवस	जिला मुख्यालय के नगरीय क्षेत्र के लिये जिला आपूर्ति नियंत्रक/जिला आपूर्ति अधिकारी.	15 कार्य दिवस	कलेक्टर
				जिला मुख्यालय के नगरीय क्षेत्र को छोड़कर अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व.	15 कार्य दिवस	कलेक्टर

क्र. एफ-2-13-2012-इकसठ-लोसेप्र-पी.एस.जी-10.—मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 (क्रमांक 24 सन् 2010) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, अधिसूचना क्र. एफ 308-05-01-2010, दिनांक 24 सितम्बर, 2011 में वन विभाग से संबंधित सेवाओं को विलोपित करते हुए वन विभाग द्वारा उपलब्ध करवाई जाने वाली सेवाएं, पदाभिहित अधिकारी का पदनाम, सेवाएं प्रदान करने के लिये निश्चित की गई समय-सीमा, प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम, प्रथम अपील अधिकारी द्वारा निराकरण के लिये निश्चित की गई समय-सीमा तथा द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम निम्नानुसार अधिसूचित करती है, अर्थात् :-

मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 की धारा 3 के तहत वन विभाग की सेवाएं

सेवा क्र.	सेवाएं	पदाभिहित अधिकारी का पदनाम	सेवा प्रदान करने की निश्चित समय-सीमा	प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम	प्रथम अपील के निराकरण की निश्चित की गई समय-सीमा	द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
10.1	वन्य प्राणियों से जनहानि हेतु राहत राशि का भुगतान.	परिक्षेत्राधिकारी	3 कार्य दिवस	वनमण्डल अधिकारी/संरक्षित क्षेत्र के उप संचालक/सहायक संचालक.	15 कार्य दिवस	वन संरक्षक/संरक्षित क्षेत्र के संचालक.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
10.2	वन्य प्राणियों से जन घायल हेतु राहत राशि का भुगतान.	परिक्षेत्राधिकारी	7 कार्य दिवस	वनमण्डल अधिकारी/संरक्षित क्षेत्र के उप संचालक/सहायक संचालक.	15 कार्य दिवस	वन संरक्षक/संरक्षित क्षेत्र के संचालक.
10.3	वन्य प्राणियों से पशु-हानि राहत राशि का भुगतान.	परिक्षेत्राधिकारी	30 कार्य दिवस	वनमण्डल अधिकारी/संरक्षित क्षेत्र के उप संचालक/सहायक संचालक.	30 कार्य दिवस	वन संरक्षक/संरक्षित क्षेत्र के संचालक.
10.4	मालिक मकबूजा प्रकरण में भुगतान—					
	1. डिपो में काष्ठ प्राप्त होने के उपरांत भुगतान के प्रकरण.	वनमण्डलाधिकारी	45 कार्य दिवस	वन संरक्षक	30 कार्य दिवस	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन).
	2. पृथक् लॉट के विकल्प की दशा में विक्रय मूल्य की पूर्ण वसूली के प्रकरण.	वनमण्डलाधिकारी	30 कार्य दिवस	वन संरक्षक	30 कार्य दिवस	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन).
10.5	काष्ठ के परिवहन का अनुज्ञा पत्र प्रदान करना.	1. शासकीय काष्ठागार हेतु— काष्ठागार अधिकारी/ परिक्षेत्राधिकारी.	3 कार्य दिवस	उप वनमंडलाधिकारी	15 कार्य दिवस	वनमंडलाधिकारी
		2. काष्ठ के पंजीकृत व्यापारी/विनिर्माता हेतु— परिक्षेत्राधिकारी.	10 कार्य दिवस	उप वनमंडलाधिकारी	15 कार्य दिवस	वनमंडलाधिकारी
		3. भूमिस्वामी से प्राप्त काष्ठ हेतु— उप वनमंडलाधिकारी.	30 कार्य दिवस	वनमंडलाधिकारी	15 कार्य दिवस	वन संरक्षक

क्र. एफ-2-13-2012-इक्सठ-लोसेप्र-पी.एस.जी-13.—मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 (क्रमांक 24 सन् 2010) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, अधिसूचना क्र. एफ 308-05-01-2010, दिनांक 24 सितम्बर, 2011 में किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग से संबंधित सेवाओं को विलोपित करते हुए किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग द्वारा उपलब्ध करवाई जाने वाली सेवाएं, पदाभिहित अधिकारी का पदनाम, सेवाएं प्रदान करने के लिये निश्चित की गई समय-सीमा, प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम, प्रथम अपील अधिकारी द्वारा निराकरण के लिये निश्चित की गई समय-सीमा तथा द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम निम्नानुसार अधिसूचित करती है, अर्थात् :-

मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 की धारा 3 के तहत
किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग की सेवाएं

सेवा क्र.	सेवाएं	पदाभिहित अधिकारी का पदनाम	सेवा प्रदान करने की निश्चित समय-सीमा	प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम	प्रथम अपील के निराकरण की निश्चित की गई समय-सीमा	द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
13.1	रासायनिक उर्वरक विक्रय प्राधिकार-पत्र एवं कीटनाशक, बीज विक्रय लायसेंस जारी करना.	संबंधित जिले के उप संचालक, कृषि.	30 कार्य दिवस	संबंधित संभाग के संयुक्त संचालक, कृषि.	15 कार्य दिवस	संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास.